बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय : निगमित सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005
फोन : 020-25537239/336

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

"बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाओं और परिसरों (संपूर्ण भारत में) के लिए एयर कंडीशनर की आपूर्ति और स्थापना हेतु दर अनुबंध" के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। संभावित बोलीदाता बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** से आरएफपी का निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

बोली पूर्व बैठक **29.08.2024 को (11.00 बजे)** आयोजित की गई है। आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **12.09.2024** को **11.00** बजे तक है। तकनीकी बोलियाँ **12.09.2024 को 11.30** बजे खोली जाएँगी और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इसके लिए उपस्थित रहें।

उपर्युक्त निविदा के संबंध में कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट / शुद्धिपत्र / तिथियों का विस्तार / स्पष्टीकरण / बोलीदाताओं के प्रश्नों के उत्तर केवल बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** पर ही पोस्ट किए जाएंगे तथा समाचार पत्र में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

उप महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001

परिशिष्ट IV नियम 8(1)
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत मेसर्स आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.08.22 को मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता अरोड़ा सर्किट बोर्ड, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स, नीरज अरोड़ा, अरुण अरोड़ा, दक्ष अरोड़ा, जिनके ऋण खाता संख्या 80001302, 80003166, 80003618, डण्ण ि0254301,80003620,डण्ण ि0254601, से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 3,51,70,364/– दिनांक 16.08.22 को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर 24 अगस्त 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेता. वनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन मेसर्स आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी राशि 16.08.22 तक 3,51,70,364/– रुपये और उस पर ब्याज के दायित्व के अधीन होगी । उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

संपत्ति संख्या एस–149, तीसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ), ब्लॉक–एस, जी.के.–।, नई दिल्ली–110048

स्थान : दिल्ली, **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 24/08/2024 **(आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)**

SAMMAAN CAPITAL

सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
CIN:L65922DL2005PLC136029
ई- मेल: homeloans@indiabulls.com., टेलि: 011-43532950,
फैक्स: 011-43532947, वेबसाईट: http://www.sammaancapital.com

सूचना
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए
विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ पढा जाए, के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षो से या उससे अधिक भुगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है । नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश के मूल्य को 20 नवंबर, 2024 को या उससे पहले दावा कर सकते है।

सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको का संपुर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट http://www.sammaancapital.com पर उपलब्ध है।

सभी शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रुपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरो को अर्जित लाभ के साथ, यदी कोई हो तो, वह नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दावा कर सकते है।

शेयरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमो के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के उदेश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे ।

यदि 20 नवंबर, 2024 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सूचना प्राप्त नही होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरो और लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शुरू करेगी ।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पूछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31- 32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 टॉल फ्री:1800-309-4001; ईमेल:einward.ris@kfintech.com, पर संपर्क कर सकते है।

सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)
सही/-
अमित जैन
कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.08.2024

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात–362266
शाखा कार्यालय : दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार मैसर्स अबूबकर पॉलीमर्स, प्रोपराइटर मोहम्मद फुरकान, फरहा नाज को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 92,65,296/– (रुपये बानबे लाख पैंसठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.04.2024 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 23 अगस्त, 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार बकाया राशि रु. 92,65,296/- (रुपये बानबे लाख पैंसठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

बेसमेंट नं. 1, भूतल, प्लॉट नं. 47, ब्लॉक–5, ईरोज गार्डन कॉलोनी, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा 121009, क्षेत्रफल माप 139.50 वर्ग मीटर (166 वर्ग गज)

स्थान : फरीदाबाद **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 23.08.2024 **(आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड)**

Ref. No. 3622
Date : 26/08/2024

KARAD MUNICIPAL COUNCIL, KARAD.

E - Tender Notice No. 175 For 2024-25

Karad Municipal Council invites E-Tender for Various Developmental work Under The scheme of maharashtra suvarn jayanti nagarotthan mahaabhiyan please visit Website **www.mahatenders.gov.in** for More detailed information. If Have Any queries or doubts call on Landline No. 02164 - 222237 in office hours. Above mentioned tender notice no. 175 will available to see from 27/08/2024 on website.

Seal

Sd/-
Chief officer
Karad Municipal Council

प्रपत्र सं. आईएनसी – 26
(कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित करने हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन

केन्द्र सरकार
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
करण मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में,
जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 118, प्रथम तल, कीर्ति शिखर बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 11, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में स्थित है .....याचिकादाता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा 20 अगस्त, 2024 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबंधनों में कम्पनी को इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन, केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक अनुपालन प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (ण्उवंहवअण्पद) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक को, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर 118, प्रथम तल, कीर्ति शिखर बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 11, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

कृते एवं हिते आवेदक
करण मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
हरीश चड्ढा
निदेशक
डीआईएन : 00130073

तिथि : 26–08–2024
स्थान : नई दिल्ली

पेगासस एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

55–56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021
दूरभाष नं. : 022–61884700, ई–मेल : sys@pegasus-arc.com
यूआरएल : www.pegasus-arc.com

ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती को सूचना दी जाती है कि पेगासस ग्रुप ट्वेंटी 24 ट्रस्ट–I के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत प्रतिभूत लेनदार पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात "पेगासस" सन्दर्भित) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति तथा निहित प्रतिभूतियाँ, हित सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एसाइनमेंट दिनांक 26.03.2014 के माध्यम से कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड (सीएसबी) द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार के बकायों की वसूली के लिए अधिकृत है।

पेगासस के अधिकृत प्राधिकारी ने सरफैसी अधिनियम तथा सरफैसी नियमों के प्रावधानों के तहत नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 05.04.2024 को भौतिक कब्जा कर लिया है। उपर्युक्त के आलोक में नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्ति की बिक्री पेगासस के श्रीमती कुसुम देवी तथा श्री धरमवीर शर्मा से सरफैसी सूचना दिनांक 23.02.2015 के अनुसार 26/03/2014 तक रु. 8,32,055.25/– (रुपये आठ लाख बत्तीस हजार पचपन और पच्चीस पैसे मात्र) तथा 31.05.2024 तक रु. 22,59,485.98/– (रुपये बाईस लाख उनसठ हजार चार सौ पिचासी और अट्ठानवे पैसे मात्र) और 01.06.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों तथा उस पर व्ययों की वसूली के लिए समस्त ज्ञात एवं अज्ञात देयताओं सहित 26.07.2024 को "जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 14,65,000/– (रुपये चौदह लाख पैंसठ हजार मात्र)होगा और जमा धरोहर राशि रु. 1,46,500/– (रुपये एक लाख छियालीस हजार पांच सौ मात्र) होगी।

कर्जदार/जमानती का नाम :	1. श्रीमती कुसुम देवी 2. श्री धरमवीर शर्मा
बकाया देयताएं	सरफैसी सूचना दिनांक 23.02.2015 के अनुसार 26/03/2014 तक रु. 8,32,055.25/– (रुपये आठ लाख बत्तीस हजार पचपन और पच्चीस पैसे मात्र) तथा 31.05.2024 तक रु. 22,59,485.98/– (रुपये बाईस लाख उनसठ हजार चार सौ पिचासी और अट्ठानवे पैसे मात्र) और 01.06.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतें, प्रभारें तथा वसूली तक उस पर व्यय
अचल सम्पत्ति का विवरण :	मकान संख्या ई–796, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद, प्लॉट संख्या 149, 150 और 151 का हिस्सा, खसरा संख्या 30/16/1 का हिस्सा, मौजा सारन, तहसील व जिला फरीदाबाद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग गज है तथा जो सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद के पास बिक्री विलेख संख्या 14022 दिनांक 01–03–2005 के तहत पंजीकृत है, तथा जिसका स्वामित्व श्रीमती कुसुम देवी के पास है।
आरक्षित मूल्य	रु. 14,65,000/–
जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%)	रु. 1,46,500/–
चल सम्पत्ति का विवरण :	निल
सम्पत्ति के विरुद्ध दावे, यदि कोई हो, तथा प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में कोई अन्य बकाया एवं मूल्य	ज्ञात नहीं
सरसाई	प्रतिभूति आईडी- 400002516473, आस्ति आईडी- 200002514786
सम्पत्ति का निरीक्षण	13/09/2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच सम्पर्क व्यक्ति : श्री स्वाकान्त पाण्डे (अधिकृत प्राधिकारी) – 9087788888
बोली/संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :	18/09/2024 को 4:00 बजे अप. तक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	वेबसाइट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) के माध्यम से ई–नीलामी/बोली की तिथि 19/09/2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

यह प्रकाशन प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों को तीस दिवसीय सूचना भी है। कर्जदार/गारंटर 31.05.2024 तक रु. 22,59,485.98 (रुपये बाईस लाख उनसठ हजार चार सौ पिचासी और अट्ठानवे पैसे मात्र) और 27.03.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों का प्रतिभूत संपत्तियों की प्रभावी बिक्री से पहले किसी भी समय भुगतान करके ऋण खातों को बन्द कर सकते हैं प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित कर सकते हैं।

ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति की ई–नीलामी/बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.htm' का सन्दर्भ लें। संविदाकार वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड ऑक्शन टाइगर से सम्पर्क कर सकते हैं, संविदा सहायता : 079–68136805/68136837, श्री रामप्रसाद – मोबाइल : +91 9978591888 तथा 8000023297, ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net.

अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26.08.2024
पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(पेगासस ग्रुप 24 ट्रस्ट–क के ट्रस्टी)

पेगासस एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

55–56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021
दूरभाष नं. : 022–61884700, ई–मेल : sys@pegasus-arc.com
यूआरएल : www.pegasus-arc.com

ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती को सूचना दी जाती है कि पेगासस ग्रुप ट्वेंटी 24 ट्रस्ट–कके ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत प्रतिभूत लेनदार पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात "पेगासस" सन्दर्भित) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति तथा निहित प्रतिभूतियाँ, हित सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एसाइनमेंट दिनांक 26.03.2014 के माध्यम से कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड (सीएसबी) द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार के बकायों की वसूली के लिए अधिकृत है।

पेगासस के अधिकृत प्राधिकारी ने सरफैसी अधिनियम तथा सरफैसी नियमों के प्रावधानों के तहत नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 04.04.2024 को भौतिक कब्जा कर लिया है। उपर्युक्त के आलोक में नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्ति की बिक्री पेगासस के मैसर्स आर.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स, श्री राजेश कश्यप, श्री राधेश्याम से सरफैसी सूचना दिनांक 01.05.2010 के अनुसार 01/05/2010 तक रु. 16,85,064.50/– (रुपये सोलह लाख पिचासी हजार चौसठ एवं पचास पैसे मात्र) तथा 31.05.2024 तक रु. 71,45,246.26/– (रुपये इकहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ छियालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) और 01.06.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों तथा उस पर व्ययों की वसूली के लिए समस्त ज्ञात एवं अज्ञात देयताओं सहित 26.07.2024 को "जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 19,34,000/– (रुपये उन्नीस लाख चौंतीस हजार मात्र) होगा और जमा धरोहर राशि रु. 1,93,400/– (रुपये एक लाख तिरानबे हजार चार सौ मात्र) होगी।

कर्जदार/जमानती का नाम :	1. मैसर्स आर.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स 2. श्री राजेश कश्यप 3. श्री राधेश्याम
बकाया देयताएं	सरफैसी सूचना दिनांक 01.05.2010 के अनुसार 01/05/2010 तक रु. 16,85,064.50/– (रुपये सोलह लाख पिचासी हजार चौसठ एवं पचास पैसे मात्र) तथा 31.05.2024 तक रु. 71,45,246.26/– (रुपये इकहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ छियालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) और 01.06.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागत, प्रभार तथा उस पर व्यय
अचल सम्पत्ति का विवरण :	मकान नंबर- ई–1988 (80 वर्ग गज) पुराना प्लॉट नंबर- 124, जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद, सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद के पास बिक्री विलेख संख्या 9532 दिनांक -22-12-1980 के तहत पंजीकृत, श्री राधे श्याम के स्वामित्व में
आरक्षित मूल्य	रु. 19,34,000/–
जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%)	रु. 1,93,400/–
चल सम्पत्ति का विवरण :	निल
सम्पत्ति के विरुद्ध दावे, यदि कोई हो, तथा प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में कोई अन्य बकाया एवं मूल्य	ज्ञात नहीं
सरसाई	प्रतिभूति आईडी- -400003091805, आस्ति आईडी- -200003089208
सम्पत्ति का निरीक्षण	13/09/2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच सम्पर्क व्यक्ति : श्री स्वाकान्त पाण्डे (अधिकृत प्राधिकारी) – 9087788888
बोली/संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :	18/09/2024 को 4:00 बजे अप. तक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	वेबसाइट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) के माध्यम से ई–नीलामी/बोली की तिथि 19/09/2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

यह प्रकाशन प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों को तीस दिवसीय सूचना भी है। कर्जदार/गारंटर 31.05.2024 तक रु. 71,45,246.26 (रुपये इकहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ छियालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) और 01.06.2024 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों का प्रतिभूत संपत्तियों की प्रभावी बिक्री से पहले किसी भी समय भुगतान करके ऋण खातों को बन्द कर सकते हैं प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित कर सकते हैं।

ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति की ई–नीलामी/बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.htm' का सन्दर्भ लें। संविदाकार वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑक्शन टाइगर से सम्पर्क कर सकते हैं, संविदा सहायता : 079–68136805/68136837, श्री रामप्रसाद – मोबाइल : +91 9978591888 तथा 8000023297, ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net.

अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26.08.2024
पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(पेगासस ग्रुप 24 ट्रस्ट–क के ट्रस्टी)

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 और एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 और
के मामले में

केएसटीवी फार्म एलएलपी

जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 55ए, ग्राउंड फ्लोर, शमा रोड, नजफगढ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, वेस्ट दिल्ली–110015. .....याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत दिल्ली एण्ड हरियाणा में आवेदक एलएलपी द्वारा पदनामित साझेदारों की दी गई सहमति के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए एलएलपी समझौते में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु एक सूचना दाखिल की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह मे अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कंपनी पंजीयक, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक (एलएलपी) के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

कृते की ओर से
केएसटीवी फार्म एलएलपी
हस्ता/–
राहुल कुमार पॉल
नियुक्त साझेदार
डीपीआईएन : 03612606

दिनांक : 26.08.2024
स्थान : दिल्ली

"फार्म नं. आईएनसी–26"
(कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

माननीय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एण्ड 13(1) एण्ड (4) की उप–धारा और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में
और

कुमार प्रिसिजन स्टैम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U74899DL1995PTC071787

जिसका पंजीकृत कार्यालय : जी–80, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 में है, के मामले में .....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी कुमार प्रिसिजन स्टैम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड ('आवेदक कंपनी') ने केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 07 अगस्त, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

"जी–80, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063"

कृते की ओर से
कुमार प्रिसिजन स्टैम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
इस्ता/–
अनुराग गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 06707808
जी–100, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

तिथि : 26.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

IndiaShelter Home Loans — इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : छठा तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालय : (167/1, भू तल, कृष्णा टावर, मंगल पांडे नगर, डाक्टर विवेक जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002)

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एत